

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 01-66/2026-

पटना, दिनांक- / /

2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सा पदाधिकारियों को कॉलम-06 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्थोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	P MESSENGEORGE DANGSHAWA	27-03-1993	287(17) 05.03.2026	SNCU-SH, BEGUSARAI	AIIMS, Guwahati
2	KUNAL ANAND	31-08-1995	287(17) 05.03.2026	CHC, ALAMNAGAR, MADHEPURA	AIIMS, Delhi

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक विभागीय आदेश सं0-105(17), दिनांक-22.01.2026 के आलोक में संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों/छात्रों से विधिवत शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं0-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोपरान्त/टेन्थोर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 01-66/2026-

8/9/17

पटना, दिनांक :-13/07/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।